राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति, 2013

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*

भाग—I खंड 1, दिनांक 12 अक्तूबर, 2013 से उद्धरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नयी दिल्ली, दिनाँक 27 सितंबर, 2013

संकल्प

सं. 6-3/2009-ई.सी.सी.ई. — भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के इष्टम विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी, साम्यपूर्ण तथा प्रासंगिक अवसरों के संवर्धन हेतु प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति पर विचार किया है। विधिवत विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति एतद् द्वारा अंगीकृत की जाती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम लोगों की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति, 2013

1 प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन के निर्माण के विशिष्ट ज़रूरतों वाली भली-भाँति चिन्हित उप अवस्थाएँ (गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक) हैं, जो जीवनचक्र दृष्टिकोण का पालन करती हैं। यह सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि है और यह उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाण यह पुष्टि करते हैं कि इस अवधि में मस्तिष्क के विकास

---

* *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,* बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली

की महत्वपूर्ण अवस्थाएँ आती हैं, जो पूरे जीवनचक्र में शरीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गों (पाथवे) और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जीवन के इस स्तर पर आई कमियाँ मानव विकास में स्थायी और संचयी विपरीत प्रभाव डालती हैं।

1.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करता है। यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए एक अपरिहार्य आधार है जिसका प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ई.सी.सी.ई.को वरीयता दिया जाना और इसमें निवेश करना आवश्यक है क्योंकि यह पीढ़ी- दर-पीढ़ी चले आए सुविधाहीनता के चक्र को तोड़ने और असमानता को दूर करने के लिए सबसे अधिक कारगर उपाय है, जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ देता है।

1.3 भारत में 0-6 वर्ष आयु समूह के 15.87 करोड़ बच्चे हैं (जनगणना 2011) और देश में जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण हिस्से के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु इनकी ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौतियाँ भली-भाँति ज्ञात हैं।

1.4 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, (ई.सी.सी.ई.) नीति सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसवपूर्व अवधि से 6 वर्ष की आयु तक सतत रूप से समेकित सेवाएँ प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। यह नीति प्रत्येक बच्चे की देखरेख और प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण, मनो-सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताओं के बीच सहक्रियात्मक और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करती है।

2 नीति के संदर्भ और आवश्यकता

2.1 सामाजिक संदर्भ

2.1.1 भारत में बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को महत्त्व देने की परंपरा रही है तथा बच्चों के विकास को उत्प्रेरित करने की एवं उन्हें संस्कार, बुनियादी मूल्यों और सामाजिक कौशल प्रदान करने की प्रथाओं की भी एक समृद्ध धरोहर रही है। पहले यह मुख्य रूप से परिवारों में बाल देखरेख की पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से दी जाती थी, जो सामान्यत: परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचती रहती थी। पिछले कुछ दशकों में परिवार और उसके साथ-साथ सामाजिक संदर्भ परिवर्तित हो गए हैं और साथ ही साथ विश्व स्तर पर अब प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को समझा जाने लगा है।

2.1.2 परिवारों, समुदायों और सेवाओं के सामर्थ्य को सुदृढ़ करने और प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की उत्तम देखरेख और शिक्षा को सुनिश्चित

करना भारत के लिए प्राथमिकता है। जेंडर (लिंग), सामाजिक पहचान, अपंगता तथा अन्य भेदभाव के कारणों पर आधारित असमानताओं एवं भेदभावों का समाधान सक्रियतापूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता है, ताकि नि:शुल्क सार्वभौमिक शाला-पूर्व शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए समेकित सेवाओं की व्यापक पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक संदर्भों एवं पारिवारिक विविधताओं को उपयुक्त रूप से समझा जाए ताकि कार्यक्रमों में उपयुक्त प्रावधानों के द्वारा माता-पिताओं और देखभालकर्ताओं के योगदान द्वारा संतुलित पेरेंटिंग की जा सके।

2.2 नीति संदर्भ

2.2.1 भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद 45, के माध्यम से भारत सरकार ने ई.सी.सी.ई. के महत्त्व को पहचाना, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।

2.2.2 बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू किया गया, ने भी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत ई.सी.सी.ई. का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है — "प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने के लिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरा करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।" (बालकों के साथ बालिकाएँ भी शामिल हैं।)

2.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में भी ई.सी.सी.ई. की ओर ध्यानाकर्षित किया गया जिसके परिणामस्वरूप समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) 1975 में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई जिसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण और समेकित विकास की नींव रखना तथा देखभालकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना था। 11वीं योजनावधि में आईसीडीएस के अंतर्गत 14 लाख बस्तियों को शामिल कर इसका व्यापीकरण किया गया। आगामी योजनाओं में गुणवत्ता के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के सर्वव्यापीकरण को वास्तविक रूप दिया जाए, यह सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से संबंधी सुधार किए जा रहे हैं।

2.2.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), ई.सी.सी.ई. को मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश समझती है और बाल विकास के व्यापक तथा समेकित स्वरूप को मान्यता देती है। राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) ने भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बाल देखरेख और पोषण के लिए हस्तक्षेपों की सिफ़ारिश की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की

रूपरेखा (2005) के अंतर्गत ई.सी.सी.ई. पर स्थिति दस्तावेज़ (पोज़िशन पेपर) सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (2005) भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए सहायक नीतिगत प्रयास हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) को एक ऐसी अवस्था के रूप में महत्त्व दिया है जिसमें जीवनपर्यन्त विकास तथा बच्चे की पूर्ण योग्यता को साकार करने की नींव डाली जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आईसीडीएस (एडब्ल्यूसी) के अतिरिक्त सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ई.सी.सी.ई. में व्यवस्थागत सुधार के क्षेत्रों में समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

2.2.5 भारत, बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) 1989 तथा सब के लिए शिक्षा (सर्वशिक्षा) 1990 सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। 'सीखने की शुरूआत जन्म से ही दी जाती है' अत: 'सभी के लिए शिक्षा' (ईएफए) ने ई.सी.सी.ई. को सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रथम लक्ष्य माना है। डाकर फ्रेमवर्क फ़ॉर एक्शन (2000) और मॉस्को फ्रेमवर्क फ़ार एक्शन (2010) ने भी ई.सी.सी.ई. के लिए वचनबद्धता की अभिपुष्टि की है।

2.3 कार्यक्रम संदर्भ

2.3.1 ई.सी.सी.ई. सेवाएँ सार्वजनिक, निजी तथा गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। जन माध्यम, ई.सी.सी.ई. सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम आईसीडीएस का एक अनिवार्य उद्देश्य एवं सेवा ई.सी.सी.ई. प्रदान करना है। आज आईसीडीएस कार्यक्रम 14 लाख अनुमोदित आँगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से छह वर्ष की आयु से कम के लगभग 8 करोड़ बच्चों को सेवाएँ प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम जैसे — सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और प्रारंभिक स्तर तक लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) भी ई.सी.सी.ई. केंद्र स्थापित करने में सहायक रहे हैं। देश के जिन क्षेत्रों में आँगनवाड़ी केंद्र की सुविधा अब तक नहीं थी, वहाँ तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में ई.सी.सी.ई. केंद्र खोले गए थे।

2.3.2 शिशुगृह सेवाएँ सार्वजनिक योजनाओं और सांविधिक प्रावधानों, दोनों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को देखरेख और शिक्षा सेवाएँ प्रदान करती है और 2011–12 के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि देश में कुल 23,785 शिशुगृह (एमडब्ल्यूसीडी वार्षिक रिपोर्ट 2011–12) चल रहे हैं। सांविधिक शिशुगृह सेवाओं में कानूनी रूप से अधिदेशित शिशुगृह शामिल हैं जैसे —(क) खनन अधिनियम (1952),

(ख) फैक्टरी (संशोधित) अधिनियम (1987), (ग) बागान श्रम अधिनियम (1951), (घ) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम (1996), और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) इत्यादि।

2.3.3 बहुत-से अन्य सरकारी कार्यक्रम भी सबको गुणवत्तापूर्ण मूल सुविधाएँ देने में सहायता करते हैं जैसे—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पूर्णस्वच्छता और पेय जल अभियान, लक्षित और सशर्त स्कीमें जैसे—जननी सुरक्षा योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रसव लाभों के प्रावधान जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और बाल देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं। इसके अलावा, कई योजनाएँ हैं, जैसे समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि परिवारों में बच्चों की देखरेख करने के अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग दें।

2.3.4 अनियमित निजी माध्यम (संगठित और असंगठित) ई.सी.सी.ई. सेवा प्रदान करने वाला संभवत: दूसरा बड़ा माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी पहुँच का निरंतर विस्तार हो रहा है यद्यपि इनकी गुणवत्ता में विविधता है। यह माध्यम, पहुँच में असमानता, गुणवत्ता में विषमता तथा बढ़ते हुए व्यापारीकरण के मुद्दों से ग्रस्त है।

2.3.5 गैर-सरकारी माध्यम में भी ई.सी.सी.ई. के लिए लघु पैमाने पर कुछ प्रयास किए गए हैं जिन्हें प्राय: न्यासों, सोसाइटी, धार्मिक समूहों अथवा अंतर्राष्ट्रीय निधि अभिकरणों द्वारा सहायता दी जाती है।

2.3.6 इन सभी सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदाय संबंधी मानकों, मानदंडों और विनिमयों के अनुसार सभी कार्यकलापों में समन्वय लाने की आवश्यकता है। इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी सरकार की है।

2.3.7 बहुल सेवा प्रदाताओं के होने के बावजूद, ई.सी.सी.ई. प्रावधानों के लाभ उठाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या और विभिन्न प्रकार एवं प्रदत्त सेवाओं के अनुसार विवरण के विश्वस्त आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के वर्ग के 15.87 करोड़ बच्चों (जनगणना 2011) में से लगभग 7.65 करोड़ बच्चे अर्थात् 48.2 प्रतिशत बच्चे आईसीडीएस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन में गुणवत्ता पर बल देने के कारण ये आँकडे और भी बढ़ सकते हैं। मोटे तौर पर, अनुमानों से संकेत मिलता है कि निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी बड़ी संख्या में बच्चों को शामिल किया गया है और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी सीमित संख्या में बच्चे शामिल किए गए हैं जिसके संबंध में विश्वस्त आँकड़े मौजूद नहीं हैं।

2.3.8 इन बहुल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की गई अनौपचारिक शाला पूर्व-प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में विषमता है तथा इनके शैक्षिक कार्यक्रमों में भिन्नता है जो कि न्यूनतम से लेकर औपचारिक शिक्षा पर बहुत अधिक ज़ोर देने वाले हैं। यह मुख्य रूप से सभी स्टेकहोल्डरों में ई.सी.सी.ई. की अवधारणा की अपूर्ण समझ और इसके मूल आधार, दर्शन और महत्त्व को न समझने के परिणाम हैं। इसके साथ ही गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पद्धति में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, विनियामक तंत्रों के अभाव ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है।

2.4. उपरोक्त संदर्भ में नीति में समुचित सुधार, उपाय और उचित कार्रवाई शामिल करके पूरे देश में 6 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) प्रदान करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3. नीति

3.1. राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति बच्चों के चहुँमुखी और सर्वांगीण विकास में सहायता देने के लिए विकासात्मक निरंतरता की प्रत्येक उप-अवस्था पर देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा पर बल देते हुए बच्चे के संपूर्ण और समेकित विकास की धारणा को पुष्ट करती है। यह दायित्व बहुत-से देखरेख प्रदाताओं जैसे — माता-पिता, परिवारों, समुदायों और अन्य संस्थागत तंत्रों जैसे सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के द्वारा निभाया जाना है।

3.2. आयु विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उप-अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं—

(i) गर्भधारण से जन्म तक — प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात् माता की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल, मातृत्व परामर्श, सुरक्षित बालजन्म, प्रसव हकदारी, बाल संरक्षण और भेदभावरहित वातावरण।

(ii) जन्म से तीन वर्ष तक — उत्तरजीविता, सुरक्षा, संरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, पहले छह माह तक शिशु और छोटे बच्चों के पोषण सहित दुग्धपान अभ्यास, बड़ों के साथ जुड़ाव, घर और उचित बाल देखरेख केंद्रों के सुरक्षित, पोषक और प्रेरक वातावरण में उद्दीपन तथा पारस्परिक क्रिया एवं संवाद के अवसर।

(iii) तीन से छह साल तक — जोखिमों से बचाव, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, बड़ों के साथ जुड़ाव, पाँच से छह साल के बच्चों के लिए संरचित और सुनियोजित स्कूल के लिए तैयारी घटक के साथ खेल आधारित विकासानुकूल शाला पूर्व शिक्षा।

3.3. समुचित तकनीकी मानकों और स्तरों के अनुसार ई.सी.सी.ई. सेवाएँ प्रदान करने के लिए ये आयु विशिष्ट आवश्यकताएँ आधार हैं। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति अन्य क्षेत्रों जैसे — स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि से

संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के तालमेल से करेगी।

3.4. नीति स्वीकार करती है कि बच्चों की सबसे अच्छी देखभाल उनके पारिवारिक वातावरण में होती है, तथापि व्यापक भिन्नताओं और स्तरों के इस देश में बहुत-से परिवारों को बच्चे के ईष्टतम विकास के लिए सहायक उपायों की आवश्यकता है। अत: यह नीति ई.सी.सी.ई. सेवा प्रदान करने के विभिन्न मॉडलों को स्वीकारती है और यह सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के सभी संगठन जैसे— आँगनवाड़ी केंद्र, शिशुगृह, प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल, शाला पूर्व केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूल, बालवाड़ी और गृह आधारित देखरेख इत्यादि ई.सी.सी.ई. के सभी कार्यक्रमों पर लागू होगी।

4. नीति की अवधारणा

4.1. नीति की अवधारणा 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की क्षमता के पूर्ण विकास की नींव डालने हेतु नि:शुल्क, व्यापक, समावेशी, समतापूर्ण, आनंदपूर्ण और प्रासंगिक अवसरों द्वारा उनका सर्वांगीण विकास करना और उनमें सक्रिय अधिगम क्षमता का विकास करना है।

यह नीति देश भर में उपयुक्त तंत्रों, प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों द्वारा समुचित वातावरण बनाते हुए घर में प्रदत्त देखरेख एवं शिक्षा के केंद्र-आधारित ई.सी.सी.ई. तक और तत्पश्चात् विद्यालय तक का सफ़र सुचारू और सफ़लतापूर्वक हो सके, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

इस नीति की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के द्वारा मार्गदर्शित होगी—

(i) गर्भधारणा से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण हित और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल देखरेख सहायता, संरचना और सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

(ii) ई.सी.सी.ई. को सर्वव्यापी एवं सुदृढ़ करना और असुरक्षित बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के समावेशन अनुकूल नीतियाँ सुनिश्चित करना।

(iii) बच्चों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्ता सेवाएँ विकसित करने के लिए एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ मानव संसाधन की व्यवस्था करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।

(iv) ई.सी.सी.ई. प्रावधानों के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना और पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाना तथा समुचित संस्थागत प्रबंधों के माध्यम से उसे लागू करना और उनकी हिमायत करते हुए उनका प्रयोग व व्यवहार में लाना सुनिश्चित करना।

(v) ई.सी.सी.ई. के विषय में जागरुकता लाना और उसके महत्त्व के विषय में सामान्य समझ बनाना तथा संस्थागत और कार्यक्रम संबंधी उपायों और अपेक्षित प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग के माध्यम से छोटे बच्चों

के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समुदायों और परिवारों में सुदृढ़ साझेदारी को प्रोन्नत करना।

(vi) बहुल संदर्भों और परिवेशों की भिन्नता को पहचानना, सांस्कृतिक रूप से समुचित रणनीतियों और सामग्रियों को विकसित और प्रोन्नत करना और स्थानीय रूप से अनुकूल उपायों का प्रयोग करते हुए भागीदारी तथा विकेंद्रीकृत शासन के प्रारूप के अनुसार कार्य करना।

5. नीति के मुख्य क्षेत्र

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करती है—

(क) समतापूर्ण पहुँच और कार्यक्रमों में समावेशन तथा सेवा प्रदाताओं के संपर्क में हस्तक्षेप
(ख) गुणवत्ता में सुधार करना (न्यूनतम विशिष्टताएँ, गुणवत्ता मानक विनियम, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, खेलकूद और शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम मूल्यांकन और बच्चे का आकलन)
(ग) क्षमता को सुदृढ़ करना (संस्थाएँ, कार्मिक परिवार और समुदाय)
(घ) मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण (एमआईएस, राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद् इत्यादि)
(ड) अन्वेषण और प्रलेखीकरण
(च) जागरुकता और हिमायत
(छ) नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समभिरूपता और समन्वयन
(ज) संस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएँ (ई.सी.सी.ई. केंद्र, राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषदें, कार्य योजनाएँ)
(झ) भागीदारी
(ञ) ई.सी.सी.ई. के प्रति निवेश में वृद्धि
(ट) समीक्षा

5.1. समतापूर्ण और समावेशन सहित व्यापक पहुँच

सरकार ई.सी.सी.ई. सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी—

5.1.1 सरकार विकेंद्रीकृत और प्रासंगिक उपायों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. की व्यापक और समतापूर्ण पहुँच प्रदान करेगी।

5.1.2 ई.सी.सी.ई. की प्राप्ति मुख्य रूप से आईसीडीएस के माध्यम से तथा अन्य संबंधित समभिरूप क्षेत्रों/कार्यक्रमों के साथ तालमेल के द्वारा सार्वजनिक व अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे निजी और गैर-सरकारी माध्यम से होगी। सर्वाधिक सीमान्त और असुरक्षित तथा वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँगी।

5.1.3 धारा 3 में परिभाषित प्रत्येक उप-अवस्था के लिए सरकार सेवाओं की व्यापक पहुँच प्रदान करेगी जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, आयु के अनुसार उचित देखभाल, संरक्षित और अनुकूल माहौल में उत्प्रेरण और प्रारंभिक अधिगम शामिल होंगे। ऐसे ई.सी.सी.ई. केंद्र निर्धारित जनसंख्या मानकों के अनुसार संचालित होंगे और अधिमान रूप से इन्हें 500 मीटर के अंदर स्थापित किया जाएगा।

5.1.4 नज़दीकी ई.सी.सी.ई. केंद्र तक पहुँच की संकल्पना को, जिसमें अधिक कमज़ोर वर्ग

और वंचित समूह के बच्चों के दाखिले के लिए प्रावधान शामिल होंगे, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रावधान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.1.5 ई.सी.सी.ई. केंद्र में दाखिले के लिए किसी भी बच्चे का लिखित अथवा मौखिक टेस्ट नहीं लिया जाएगा।

5.1.6 ई.सी.सी.ई. में जीवन चक्र दृष्टिकोण और बाल विकास परिणामों को प्राप्त करने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आँगनवाड़ी केंद्र को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएँ, वित्तीय और मानव संसाधनों सहित 'सक्रिय बालोनुकूल ईसीडी केंद्र' के रूप में पुन: स्थापित किया जाएगा।

5.1.7 तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सेवाओं के पूर्ण क्षेत्र जैसे — देखभाल, नियोजित प्रारंभिक प्रेरक घटक, स्वास्थ्य, पोषण और पारस्परिक क्रियात्मक वातावरण सहित आँगनवाड़ी सह शिशुगृह को विकसित किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो समुदाय की आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में बढ़ाया जाएगा।

5.1.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम तथा संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रों द्वारा सांविधिक कानूनों (अर्थात् मनरेगा अधिनियम,भवन और अन्य निर्माण अधिनियम, कर्मकार अधिनियम) के तहत शिशुगृहों के क्रियान्वयन को पुन: क्रियान्वित किया जाएगा तथा इस नीति के प्रावधानों के अनुसार उनमें सुधार किया जाएगा। लक्षित जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशुगृहों के अन्य मॉडलों को लचीलेपन के साथ गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में कार्य करने हेतु सुदृढ़ किया जाएगा।

5.1.9 सभी बच्चों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विलंबित विकास और विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों के लिए उपयुक्त, अनुकूल, एवं रेफ़रल के साथ शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपों के उपाय किए जाएँगे। ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए संबंधित कार्यक्रमों / क्षेत्रों में समुचित संबंध स्थापित किए जाएँगे।

5.1.10 परिवार/ समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ई.सी.सी.ई. सेवा प्रदाय के मॉडलों को प्रयोग करके उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।

5.1.11 शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की विशिष्ट अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी कार्यनीति तैयार की जाएगी और अपनायी जाएगी ताकि सभी शहरी बस्तियों/झुग्गी बस्तियों इत्यादि में रहने वाले बच्चों तक ई.सी.सी.ई. की पहुँच का विस्तार हो सके। इसे सुगम बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र एवं शहर योजना से संबंधित नियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि नजदीकी ई.सी.सी.ई./ बाल विकास केंद्र हेतु स्थान का प्रावधान हो सके।

5.1.12 सभी छोटे बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. सहित समेकित बाल विकास को आईसीडीएस के माध्यम से सर्वसुलभ बनाना सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त सरकार गैर-सरकारी, बिना लाभ के लिए और लाभ के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को आवश्यकता और व्यवहारिकता के अनुसार अनुपूरित करने की और सहायता प्रदान करने की संभावनाओं को तलाशेगी।

5.1.13 प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ाव को कारगर बनाया जाएगा ताकि स्कूल-तैयारी-पैकेज के माध्यम से ई.सी.सी.ई. केंद्र से प्राइमरी स्कूल तक के सतत एवं सुचारू पारगमन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके।

5.2. गुणवत्ता सुनिश्चित करना

सरकार प्रतिमान तथा गुणवत्ता मानक निर्धारित करके, पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करके, खेल की उपयुक्त तथा पर्याप्त सामग्री के प्रावधान, कार्यक्रम-मूल्यांकन तथा बाल आकलन करने के बहु उन्मुखी उपायों के माध्यम से ई.सी.सी.ई. की विकासानुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देगी।

5.2.1 बच्चों को प्राप्त ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए ई.सी.सी.ई. के लिए मूलभूत गुणवत्ता मानक और विनिर्दिष्टयाँ निर्धारित की जाएँगी जो सार्वजनिक, निजी और गैर - सरकारी सेवा प्रदाताओं पर लागू की जाएँगी। ई.सी.सी.ई. गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित आधारभूत मानकों में समझौता नहीं किया जाएगा और ये किसी भी प्रकार की ई.सी.सी.ई. सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होंगे—

(i) तीन-चार घंटे की अवधि का ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम।

(ii) 30 बच्चों के एक समूह के लिए कम से कम 35 वर्गमीटर माप का एक अध्ययन कक्ष और 30 वर्ग मीटर (कम से कम) खुले स्थान की उपलब्धता।

(iv) पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टॉफ़।

(iv) मातृभाषा/ स्थानीय देशी भाषा में संपादित विकासानुकूल, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम।

(v) पर्याप्त विकासानुकूल खिलौने और शिक्षण सामग्री।

(vi) एक सुरक्षित भवन जिस तक पहुँच सरल हो। भवन साफ़ होना चाहिए तथा इसके आसपास हरित-क्षेत्र होना चाहिए।

(vii) पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल की सुविधा।

(viii) लड़कियों तथा लड़कों के लिए पर्याप्त तथा अलग-अलग बालानुकूल शौचालय तथा हाथ धोने की सुविधाएँ।

(ix) संतुलित पोषक आहार बनाने के लिए और बच्चों के लिए सोने/ आराम के लिए अलग स्थान आबंटन।

(x) केंद्र में तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक उपचार/(मेडिकल) चिकित्सा किट की उपलब्धता।

(xi) वयस्क/ देखभालकर्ता— 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात 1:20 और 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1:10 का अनुपात होना चाहिए। किसी भी समय पर बच्चे बिना वयस्क/देखरेख के नहीं रहने चाहिए।

5.2.2 राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद् द्वारा, इसकी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जो ई.सी.सी.ई. की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं अथवा जो आंशिक रूप से ई.सी.सी.ई. सेवाएँ प्रदान करते हैं, मूल गुणवत्ता निवेश और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ई.सी.सी.ई. विनियामक ढाँचा बनाएगा जिसे इस नीति की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर समुचित परिस्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसा कार्यान्वयन एक चरणबद्ध तरीके से होगा जो पंजीकरण प्रत्यायन और अन्तत: सभी ई.सी.सी.ई. सेवा प्रावधानों के विनियमन को प्रगामी रूप से गतिशील बनाएगा।

गुणवत्ता मानक अन्य बातों के साथ-साथ भवन और आधारभूत सुविधा देखभालकर्ता-बच्चों के बीच पारस्परिक संबंध, बच्चों के लिए नियोजित अधिगम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण हेतु उपाय, स्टॉफ़ की योग्यता और व्यावसायिक विकास, माता-पिता और समुदाय की सहभागिता तथा ई.सी.सी.ई. प्रावधान के संगठन और प्रबंधन से संबंधित होंगे।

5.2.3 इस नीति की अधिसूचना के छह माह के अंदर एक विकासानुकूल राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकास के क्षेत्रों जैसे—शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञान, सामाजिक-वैयाक्तिक, भावात्मक और रचनात्मक और सौंदर्यपरक मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए एक समेकित, खेल पर आधारित, प्रायोगिक और बालानुकूल पाठ्यक्रम के माध्यम से समाधान करेगी। यह कार्यान्वयन विवरणों जैसे—कार्यक्रम आयोजन के सिद्धांतों, माता-पिता और देखभालकर्ताओं/ई.सी.सी.ई. अध्यापकों की भूमिका, आवश्यक खेल सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया इत्यादि का निर्धारण करेगी। शारीरिक दंड से रहित एक समर्थ और प्यार भरा वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

5.2.4 ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों में बोलचाल का माध्यम बच्चे की मातृभाषा/ घर की भाषा/ स्थानीय देशी बोली होगी। लेकिन इस आयु में बच्चों में कई भाषाओं को सीखने की क्षमता होने के कारण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेज़ी को मौखिक रूप में, जैसी ज़रूरत हो, सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएँगे। बच्चे की भाषा का आदर करते हुए तथा प्रारंभिक वर्षों में बच्चे की बहुत-सी भाषाओं में अभिव्यक्ति की

सुगम्यता का प्रयोग करते हुए एक बहुभाषी रणनीति अपनाई जाएगी।

5.2.5 सरकार समुचित उपकरणों और निर्देशों द्वारा सुरक्षित, बालानुकूल और विकासोन्मुख खेल व शिक्षण सामग्री और खेलने के लिए स्थानों का प्रावधान सुनिश्चित करेगी। ई.सी.सी.ई. परिवेशों में सरकार पारंपरिक गानों, कहानियों, लोरियों, लोक कथाओं, स्थानीय खिलौनों और खेलों के शिक्षण और खेल सामग्री के रूप में प्रयोग को बढ़ावा देगी।

5.2.6 राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. गुणवत्ता मानदंडों में भवन और आधारभूत सुविधाओं, बच्चों और देखभालकर्ता के बीच संबद्ध, बच्चों के लिए नियोजित अधिगम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण उपाय, स्टॉफ़ की योग्यता और वृत्तिका विकास, माता-पिता तथा समुदाय की सहभागिता तथा फ़ीस से संबंद्ध मामलों सहित ई.सी.सी.ई. प्रावधान का संगठन तथा प्रंबधन शामिल हैं। राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद्, संगत-मूल्यांकन मानदंडों और कार्य-प्रणालियों को अपनाते हुए ई.सी.सी.ई. के सभी सेवा प्रावधानों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी।

5.2.7 ई.सी.सी.ई. केंद्र में निर्माणात्मक (फ़ॉरमेटिव) और सतत बाल आकलन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम बच्चों की विकासोन्मुख ज़रूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है।

5.2.8 सूचना, संप्रेषण प्रौद्योगिकी की क्षमता सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी को अनुकूल रूप से तथा उपयुक्त रूप से बच्चों की विकासात्मक और अधिगम ज़रूरतों की पूर्ति के लिए तथा मॉनीटरिंग, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा।

5.3. क्षमता को सुदृढ़ करना

5.3.1 प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता में भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए एक सकारात्मक योजना तैयार करेगी जिसमें राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), इसके क्षेत्रीय केंद्र और आँगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र (ए.डब्लू.टी.सी.), मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र (एम.एल.टी.सी.) और आवश्यकतानुसार निश्चित समय-सीमा में नए केंद्र स्थापित करेगी । इसी प्रकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिष्द् (एन.सी.ई.आर.टी),राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी), राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.आर.टी), जिला शिक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.),राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) और उनके विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, इग्नू, एन.आई.ओ.एस. के केंद्र जैसे अन्य संस्थानों

को भी उपलब्ध प्रशिक्षित जनशक्ति को बढ़ाने के लिए संबंद्ध किया जाएगा। सरकार सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) और मान्यता के लिए गुणवत्ता के मानक तथा एक विनियामक प्रारूप तैयार करेगी।

5.3.2 ई.सी.सी.ई. के क्षेत्र को विभिन्न ई.सी.सी.ई. कार्मिकों के लिए विनिर्दिष्ट योग्यताओं, विकास मार्गों, स्पष्ट परिभाषित भूमिका तथा क्षमता निर्माण के सभी स्तरों पर पेशेवर बनाया जाएगा। ई.सी.सी.ई. कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को विभिन्न आयु वर्ग और बहुभाषी बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संचालन करने के लिए सुदृढ़ीकृत किया जाएगा। क्षेत्र में पेशेवर योग्यता वृद्धि के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न स्तर के ई.सी.सी.ई. पेशेवरों के व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास की रणनीति के लिए योजना बनाई जाएगी।

5.3.3 ई.सी.सी.ई. कार्मिकों को लगातार सहायता प्रदान करने के लिए निपसिड और इसके क्षेत्रीय केंद्र मुख्य बाल विकास संसाधन केंद्र होंगे (जैसे हेल्पलाईन, प्रशिक्षण, परामर्श केंद्र, क्षमता निर्माण केंद्र, आकलन केंद्र और एडवोकेसी हब) । इसके साथ ही राज्यों को भी राज्य और जिला स्तर पर उनके अपने संसाधन केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3.4 नीति स्वीकार करती है कि छोटे बच्चों की उनके पारिवारिक माहौल में ही सर्वोत्तम देखरेख हो सकती है इसलिए बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए परिवार की क्षमताओं को सुदृढ़ करने को उच्चतम अग्रता प्रदान की जाएगी। माता-पिता और परिवार के सदस्यों को शिशु और बच्चों को खिलाने के अभ्यास, विकास मॉनीटरिंग, प्रेरणा, खेलकूद प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाएगा। ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में माता - पिता और अन्य समुदाय सदस्यों के शामिल होने को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाएगा।

6. मॉनीटरिंग एवं समर्थित निरीक्षण

6.1. ई.सी.सी.ई. गुणवत्ता के लिए विशिष्ट परिणाम संकेतकों के अनुसार विभाजित, ठोस और आंकने में सुलभ निवेश सहित एक व्यवस्थित मॉनीटरिंग प्रारूप पर आधारित ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। उचित प्राधिकारी और राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद्, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग सहित इस मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। प्रबंधन सूचना पद्धति और स्वतंत्र सर्वेक्षण इत्यादि को सत्यापन के विभिन्न उपायों के रूप में अपनाया जाएगा।

6.2. सारे देश में आँकड़ा एकत्रीकरण/उत्पत्ति और सूचना प्रबंधन के लिए एक मज़बूत पद्धति बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत ई.सी.सी.ई. आँकड़ों का नियमित एकत्रीकरण, समेकन और विश्लेषण किया जा सके। इस

प्रकार के आँकड़े परिणामात्मक संकेतकों पर मानकों, निर्धारित प्रारूप और समुचित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रक्रियाओं, निवेश, उत्पादन और परिणाम संकेतकों के आधार पर तैयार किए जाएँगे। इन आँकड़ों पर कार्यक्रम मॉनीटरिंग और प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार की जाएगी। आईसीडीएस/एनआरएचएम/एसएसए आँकड़ों को पहचानने और इनकी कमियों को दूर करने के लिए आईसीडीएस/एनआरएचएम/एसएसए के बीच तालमेल रखा जाएगा। निर्धनतम लोगों तक पहुँचने के लिए सूचनात्मक प्रणाली को इस्तेमाल करने की विशेष रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है।

6.3 इन आँकडों पर कार्यक्रम मॉनीटरिंग नियमित मॉनीटरिंग और सभी बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया जाएगा।

7. शोध, मूल्यांकन और प्रलेखीकरण

7.1. नीति, शोध और व्यावहारिक अभ्यास के संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रारंभिक वर्षों से ही बच्चों को ट्रैक करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन सहित प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में मौलिक शोध के लिए निधियाँ आबंटित की जाएँगी।

7.2. देशज ज्ञान, उत्पन्न करने और ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों और हस्ताक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग का साक्ष्य पर आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती और प्रचालनात्मक/परिचालन शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी हस्तक्षेपों के समग्र समाकलन के लिए प्रभाव मूल्यांकन (इम्पैक्ट इवैल्युएशन) किया जाएगा और नवाचार मॉडल बनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यात्मक अन्वेषण किया जाएगा।

8. जागरुकता और हिमायत

8.1 माता-पिता और अन्य पणधारियों के बीच विकासानुकूल ई.सी.सी.ई. की समझ की कमी और यह व्यापक सोच कि बच्चे केवल माता की ज़िम्मेदारी ही हैं, ई.सी.सी.ई. को ठीक प्रकार से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी बाधा है। इसके साथ ही साथ आयु विशिष्ट आवश्यकताओं, विकासानुकूल हस्तक्षेपों और उपेक्षा के प्रभाव को समझने में कमी भी निहित है।

8.2. उपरोक्त के समाधान के लिए माता-पिता, देखभालकर्ताओं, पेशेवरों और समुदाय, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) तक पहुँचने के लिए लोक संगीत, मुद्रण और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करते हुए मीडिया और अंतर व्यक्तिगत संचार की कार्यनीतियों का विस्तृत उपयोग किया जाएगा। माता-पिता और समुदाय तक पहुँचने के लिए संपर्क विस्तार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे उन्हें ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम में शामिल होने, उनका समर्थन करने, योजना और मॉनीटरिंग करने के योग्य बना सकें।

9. समभिरूपता और समन्वयन

9.1. बच्चों की आवश्यकताएँ स्वभावतया बहुमुखी हैं और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,

जल और स्वच्छता, श्रम और वित्त सहित विविध क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। स्वतंत्र रूप से घोषित नीतियाँ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय पोषण नीति (1993), राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002), राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001), संशोधित राष्ट्रीय बाल नीति (2013), राष्ट्रीय आयुष नीति (2002) इत्यादि तथा ई.सी.सी.ई. पर प्रभाव डालने वाले कार्यक्रम और अन्य सभी साधनों को वर्तमान नीति के साथ पुन: उन्मुख किया जाएगा।

इन संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विनियमित, प्रचालक और वित्तीय तालमेल को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लिया जाएगा ताकि संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता हो सके।

9.2. उपयुक्त संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तथा विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं में समन्वय व तालमेल स्थापित किया जाएगा। बहुमुखी पणधारियों के साथ स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर समन्वयन और समभिरूपता प्राप्त की जाएगी।

9.3. यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 का अधिदेश 6–14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है किंतु बहुत से राज्यों में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भारी तादात में प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। अत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों से अभिसरण अति आवश्यक हैं। विशेष रूप से बाल-केंद्रित और खेल-आधारित कार्यनीति अपनाने के लिए और 5–6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी हस्तक्षेप पहुँचाने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2010) धारा 11 के संदर्भ में बाल केंद्रित और खेलकूद पर आधारित पहुँच और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी करने के लिए उपायों का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा।

10. सांस्थानिक और कार्यान्वयन प्रबंध

10.1. ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों और सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने राज्य स्तरीय सहभागी विभागों सहित नोडल मंत्रालय होगा। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य आबंटन नियमावली के तहत ई.सी.सी.ई. को एक विषय बनाने का परामर्श दिया जाएगा जैसा कि भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है।

10.2. इस नीति के मुख्य प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप इस नीति की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर किए जाएँगे।

10.3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ई.सी.सी.ई.सेल / डिवीजन स्थापित किया जाएगा जो कार्य-योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा तथा बहु-क्षेत्रीय और अंतर एजेंसी समन्वय के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। देशभर में गुणवत्ता मानदंड तथा मानकों के

अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए ई.सी.सी.ई. सेल में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

10.4. इस नीति की अधिसूचना के तीन माह के भीतर एक राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद् स्थापित की जाएगी और उसके बाद राज्यों में इस नीति की अधिसूचना के 18 माह के भीतर सदृश परिषदें स्थापित की जाएँगी। राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. परिषद् समुचित व्यावसायिक विशेषज्ञ सहित एक शीर्ष निकाय होगा जो स्वायत्त होगा और राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति का मार्गदर्शन करने तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधि आबंटित की जाएगी। यह विस्तृत ई.सी.सी.ई. प्रणाली को स्थापित करके तथा प्रशिक्षण के रूपों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने, गुणवत्ता मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों के साथ-साथ कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे बहु-मॉडल और बहु-घटक उपायों को सुगम बनाने तथा उसकी सहायता करने वाले एकीकृत कार्य ढाँचे को तैयार करने की स्थापना करके भारत में ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ करने में योगदान देगा।

10.5. यह नीति भारत के विकेंद्रीकृत कार्यढाँचे में परिचालित होगी तथा इसमें समुदाय, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर समितियों के लिए प्रावधान शामिल होंगे। यह आईसीडीएस के मिशन तथा देखभाल/निगरानी समितियों के साथ उचित सामंजस्य में होगा, जिसमें समुदाय सदस्यों, माताओं के समूह, स्थानीय स्व:सरकारी संस्थाओं (पीआरआई/यूएलबी) के शामिल होने के लिए प्रावधान हैं।

10.6. देश की सामाजिक और भौगोलिक विविधता को स्वीकार करते हुए, नीति स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन के लिए अनुमति देगी। जिला स्तरीय प्रशासनिक एककों और पंचायतों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रमों के लिए और अधिक विकेंद्रीकृत योजनाएँ बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। ग्रामीण शिक्षा समितियाँ, माताओं (माता-पिता) की समितियाँ, ग्राम संसाधन ग्रुपों और पी.आर.आई. जैसे समुदाय-आधारित संगठन को इसमें शामिल किया जाएगा और विभिन्न सेवा प्रावधानों में ई.सी.सी.ई. केंद्रों के प्रबंधनों में भाग लेने तथा उनका निरीक्षण करने के लिए और सेवाओं के कोटिपरक कार्यकरण का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए उनकी सक्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

10.7. राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. नीति, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा और गुणवत्ता मानकों के क्रियान्वयन और संपूरक के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम, एसएसए, आईसीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), शिशुगृह कार्यक्रम की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ तथा इसी प्रकार के राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय निकायों जिसमें

पी.आर.आई. भी शामिल हैं और परस्पर संबद्ध क्षेत्रों जैसे—स्वास्थ्य, पोषण, शाला-पूर्व शिक्षा और जल तथा स्वच्छता के अन्य कार्यक्रमों की राष्ट्रीय/राज्य कार्य योजना में प्रतिबिंबित होंगे।

10.8. सरकार, नीति में शामिल विभिन्न पहलुओं के अनुसार समेकित सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।

10.9. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के समेकित बाल विकास के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास, संरक्षण, देखरेख, शिक्षा और उत्तरजीविता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयु अनुरूप प्रावधान से सर्वांगीण बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु धारा 5.5.2 में प्रस्तावित विनियमन कार्यढाँचे के अतिरिक्त सरकार समुचित विधान लाएगी।

11. भागीदारियाँ

11.1. संसाधन ग्रुपों/विशेषज्ञों और पेशेवरों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं से स्वैच्छिक कार्य ग्रुपों की क्षेत्रीय, राज्य जिला और उप-जिला स्तरों पर पहचान की जाएगी और ई.सी.सी.ई. में मॉनीटरिंग, पर्यवेक्षण और क्षमता निर्माण के सरकारी प्रयासों में क्रमिक और प्रभावी तरीके से सहायता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा।

11.2. नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने प्रयासों में सहायता लेने के लिए सरकार निश्चित समयावधि के लिए समुदाय, गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं और निजी सेवा प्रदाताओं सहित बहुमुखी स्टेकहोल्डरों के साथ समयबद्ध भागीदारी के लिए पहल कर सकती है, ताकि निश्चित दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

12. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के प्रति निवेश में वृद्धि

12.1. साक्ष्यों से यह पता चलता है कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की सेहत में सुधार लाने के लिए किए गए निवेश पर लाभ की दर उच्चतम रही है।

12.2. सरकार गुणवत्ता ई.सी.सी.ई. उपायों पर कुल खर्च को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।

12.3. प्रारंभिक बाल्यावस्था (गर्भधारण से 6 वर्ष तक) और ई.सी.सी.ई. बजटिंग प्रारंभिक वर्षों में निवेश का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण आयाम के रूप में कार्य करेगा। बच्चों के लिए निवेश का जायज़ा लेने के लिए तथा संसाधन निवेश और उपयोग में अंतर को पहचानने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए विकेंद्रीकृत बाल बजटिंग की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी। इससे बाल विकास के परिणामों का मूल्यांकन भी होगा।

13. समीक्षा

नीति के कार्यान्वयन की प्रत्येक पाँच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी। क्रियान्वयन की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन भी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बीच में ही सुधार किए जाएँगे।